न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
24 / 18	एफएसएस एक्ट, 2006	04 / 07 / 2018

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।
–आवेदक

बनाम

1. छुट्टन लाल गुप्ता पुत्र हजारी लाल गुप्ता उम्र 50 वर्ष जाति महाजन निवासी घी वाली गली गंगापुर सिटी (फर्म मालिक) मैसर्स कैला देवी मिष्ठान भण्डार स्टेशन रोड बजरिया गंगापुर सिटी ।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

दिनांक 03/05/2024

निर्णय

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 21 / 11 / 2016 को समय 12:30 पी0एम0 पर मैसर्स कैला देवी मिष्ठान भण्डार बजरिया स्टेशन गंगापुर सिटी पर पहुँचा । वहां पर छुट्टन लाल गुप्ता पुत्र हजारी लाल गुप्ता (फर्म मालिक) उपस्थित था ,विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **KHEER MOHAN (Prep.With Chhena, Suji & Suger)** लगभग 8 किलोग्राम एक ट्रे में दुकान में रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **KHEER MOHAN** 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच क्रय कर राशि 320 / – रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ **KHEER MOHAN** 2 किलोग्राम को 04–04 बराबर भागों में बाटकर कांच की साफ सुथरी शिशियों में भरकर फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर ऐयरटाईट बन्द कर फर्म पर नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी ।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में आवेदक द्वारा खाद्य विश्लेषक ,कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक / एमएसएसए / 2016 / 3230 दिनांक 21.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 472 / एफएसएसएल / कोटा / एक्ट / 2016 / 399 दिनांक 13 / 12 / 2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **KHEER MOHAN** सबस्टेण्डर्ड पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 472 / एफएसएसएल / कोटा / एक्ट / 2016 / 399 दिनांक 13 / 12 / 2016 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ **KHEER MOHAN (Prep.With Chhena, Suji & Suger)** का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त खाद्य पदार्थ खीरमोहन का भी कोई भुगतान अभियुक्त को नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त के सामने खाद्य पदार्थ को ना तो शिशियों में पैक किया है ना हि फार्मेलीन की बूंदें डाली गयी है। खाद्य पदार्थ खीरमोहन ऐसी मिठाई है जो लूज अवस्था में ही विक्रय की जाती है क्योकि खीरमोहन को पैक करने पर वह जल्दी ही खराब हो जाता है। अप्रार्थी की दुकान पर ताजी मिठाईया ही बनाकर विक्रय की जाती है और उतनी ही मिठाईयां बनाई जाती है जितनी एक या दो दिन में विक्रय की जा सके। इस प्रकार अभियुक्त की दुकान से कोई सब स्टेण्डर्ड माल विक्रय नहीं किया जाता है। अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है उक्त व्यवसाय से किसी तरह अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, साथ ही अभियुक्त ने उक्त प्रकरण कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 472 /एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2016/399 दिनांक 13/12/2016 का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **KHEER MOHAN (Prep.With Chhena, Suji & Suga[r]**) सबस्टेण्डर्ड का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को 10000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 03/05/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी